

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- जी.डी.।/ए.सी./AMC/2020-21/

दिनांक:-19.01.2021

विषय:-कार्यालय में Split AC की सर्विसिंग एवं आवश्यक पार्टस दरों की संविदा बाबत ।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) कार्यालय में स्थापित लगभग 43 Split Air Conditioners की सर्विसिंग एवं इनमें लगने वाले आवश्यक पार्टस हेतु सीमित निविदायें आमंत्रित की जाती है। सीमित निविदायें सील बंद लिफाफे में दिनांक 28.01.2021 को अपराह्न 3.00 बजे तक वरि. लेखाधिकारी जी.डी. को प्रस्तुत करें।

नियम एवं शर्तें

1. Split ACs की Servicing की दरें अलग स्पष्ट रूप से अंकित करें, Servicing में थर्मोस्टेट की चैकिंग, सभी इलेक्ट्रिक कनेक्शन को कसने, मूविंग Parts की लुब्रिकेशन करने, एयर फिल्टर को साफ करने Evaporator एवं Condensor की कॉयल्स को साफ करने एवं Overhauling का कार्य शामिल है।
2. फर्म को किसी भी खराब ए.सी. की लिखित या मौखिक शिकायत मिलने पर वह कार्यालय के जी.डी. अनुभाग के संबंधित कर्मचारी को साथ लेकर उस खराब ए.सी. का निरीक्षण कर उसमें होने वाली मरम्मत, पार्टस को बदलने, गैस चार्जिंग आदि कार्य की जॉब स्लिप एवं खर्च का अनुमान तैयार कर जी.डी. अनुभाग को प्रस्तुत करेगा एवं जी.डी. अनुभाग के अनुमोदन के पश्चात ही उस खराब ए.सी. की मरम्मत, पार्टस को बदलने, गैस चार्जिंग आदि कार्य करेगी। पुराने पार्टस उसे जी.डी. अनुभाग में जमा कराने होंगे तथा किये गये कार्य, AMC का बिल 07 दिवस के भीतर भुगतान हेतु तीन प्रतियों में जी.डी. अनुभाग को प्रस्तुत करेंगी। AMC का भुगतान दो किश्तों में किया जायेगा।
3. Split ए.सी. में जो भी पार्टस लगाये जायेंगे वे अच्छी एवं ब्रान्डेड कम्पनी के होंगे तथा उनकी वारन्टी होगी।
4. फर्म को ए.सी. खराब होने की दूरभाष या लिखित में शिकायत मिलने पर उसी दिन उसे सर्विस इंजिनियर को खराब ए.सी. की मरम्मत करने के लिये भेजना होगा।
5. यदि ए.सी. मे कोई खराबी है एवं उसे रिपेयर करने या पार्टस बदलने के लिये वर्कशॉप में ले जाने की आवश्यकता है तो कार्यालय के अधिकृत गेट पास प्राप्त कर ही मशीन या पार्टस बाहर ले जायेंगे एवं ले जाने की दिनांक से 02 कार्य दिवस के भीतर कार्यालय में वापस स्थापित करनी होंगी, मशीन की Safe Custody के लिए फर्म पूर्णतः जिम्मेदार होगी।

6. यदि फर्म दो दिवस में ए.सी. की रिपेयर करने में असफल रहती है तो उसके लिये की गई वैकल्पिक व्यवस्था पर जो भी व्यय होगा उसकी वसूली फर्म के बिलों से की जावेगी।
7. यदि किसी एयरकन्डीशनर का कम्प्रेसर खराब हो जाता है तो और वह रिपेयर नहीं हो पाता है तो एयरकन्डीशनर में अच्छी कम्पनी का एवं ब्रान्डेड कम्प्रेसर लगाना होगा एवं उसकी वारंटी भी देनी होगी।
8. संलग्न अनुसूची "ए" में Servicing की दरें, पार्ट्स एवं गैस चार्जिंग की दरें स्पष्ट रूप से अंकित करें (दरें जी.एस.टी. एवं सभी करों सहित) तथा शर्तों एवं वारंटी का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। सूची के वर्णित पार्ट्स के अतिरिक्त यदि अन्य कोई पार्ट्स की आवश्यकता है तो उनकी दरें भी अंकित करें।

संलग्न अनुसूची "ए"


वरि.लेखाधिकारी / जी.डी.

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

फर्म का नाम मय मोहर

Annexure "A"

Rates Of Servicing, Parts and Charging etc. for Split Air Conditioners		
S. No.	Items	Rates (In RS.)
1.	Splitf A.C. one servicing (including all items of S.No. 1 of Terms & condition)	
2.	Split A.C. Two servicing (including all items of S.No. 1 of Terms & condition)	
3.	Relay	
4.	Stating	
5.	Running Capacitors	
6.	Thermostat	
7.	Selector	
8.	Fan blade	
9.	Fan Motor	
10.	Motor Rewinding	
11.	Split A.C. Remote	
12.	Condensing Coil	
13.	Cooling Coil	
14.	Compressor 1.5 Ton Replacement	
15.	Compressor 2.0 Ton Replacement	
16.	Gas Charging 1.5 Ton A.C.	
17.	Gas Charging 2.0 Ton A.C.	
18.	Filter Split A.C.	
19.	Compressor 2.5 Ton Replacement	
20.	Gas Charging 2.5 Ton	
21.	Power Switch	
22.	Air Conditioner Power Supply Cord	
23.	Condenser	
24.	Evaporator	
25.	Split A.C. Dismeatal	
26.	Split A.C. Installation	

Any other items/parts

Singnature with Name and Seal
Name of Firm